पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तीकरण

-गिरिराज सिंह

पंचायती राज मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के लिए विषयगत दृष्टिकोण अपनाने की एक नई पहल की है। इसके अंतर्गत 17 सतत विकास लक्ष्यों को 9 विषयों में मैप किया गया है, ताकि केंद्र एवं राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संसाधनों का उपयोग करके लक्षित विकासात्मक योजना तैयार की जा सके।

पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र का आधार स्तंभ हैं। इसे सशक्त करने हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 8 वर्षों में अनेक प्रयास किए हैं तथा आने वाले समय में अमृतकाल के दौरान और भी सशक्त प्रयास किए जाएंगे। अब तक उठाए गए कदमों में से एक प्रमुख कदम पेसा (PESA) अधिनियम को लागू कराया जाना है। इस अधिनियम के माध्यम से एक ऐसी सशक्त व्यवस्था कायम होती है, जिसमें देश के अलग-अलग हिस्सों में कार्यरत पारंपरिक पंचायतों को उनके नियम-कानून के अनुरूप ही मान्यता मिलती है। हमारी सरकार के निरंतर किए गए प्रयासों से अधिकांश राज्यों ने इसे अपने यहाँ लागू किया है तथा जिन एक-दो राज्यों में इसे लागू किया जाना शेष है, उन राज्यों को भी हम लगातार इसे लागू करने हेतु प्रोत्साहित कर रहे हैं।

माननीय प्रधानमंत्री की संकल्पना है कि हमें पंचायतों को सशक्त बनाने के साथ-साथ सेल्फ सस्टेनेबल भी बनाना है। हमारी कोशिश है कि पंचायती राज संस्थाएं अपनी जरूरतों का स्वयं आकलन कर जन-भागीदारी के माध्यम से सरकारी योजनाओं की राशि के साथ-साथ राजस्व के अपने स्रोत विकसित कर उस निधि से पंचायतों की आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं का क्रियान्वयन कर प्रगति के पथ पर सतत आगे बढ़ें। जनभागीदारी के माध्यम से ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के क्रम में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी ग्रामसभाओं को सशक्त करना अर्थात ग्रामसभाओं में जनता की सक्रिय एवं प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना है। वर्ष भर में कम से कम 6 ग्रामसभाओं का आयोजन हो, जो युवाओं, महिलाओं, बच्चों, किसानों आदि के समग्र उत्थान पर केंद्रित हो और इनसे संबंधित सभी प्रकार की योजनाओं की उक्त ग्रामसभा में चर्चा, परिचर्चा, योजनाओं का चयन और अनुमोदन आदि का कार्य किया जाए तथा इन्हीं ग्राम सभाओं में इन योजनाओं की नियमित समीक्षा भी हो।

केंद्र सरकार की यह निरंतर कोशिश है कि 73वें संविधान संशोधन के उपरांत पंचायती राज संस्थाओं को उन्हें आवंटित 29 विषयों के क्षेत्र में राज्यों द्वारा उन्हें न केवल अधिकार प्रदान किए जाएं, अपितु वास्तविक रूप से इसे कार्यरूप भी दिया जाए।

लेखक केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, भारत सरकार हैं।
ई-मेल : min-mopr@gov.in

इस क्रम में कई राज्यों ने बेहतर प्रयास किए हैं। केंद्रशासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर द्वारा इस दिशा में किए गए गंभीर प्रयास के लिए जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन, विशेष रूप से वहाँ के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा धन्यवाद के पात्र हैं। इसी प्रकार अन्य राज्य/केंद्रशासित प्रदेश भी आगे बढ़कर पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तीकरण के लिए ठोस प्रयास करें।

6.50 लाख गाँव और 65 फीसदी ग्रामीण आबादी वाले हमारे देश भारत के विकास का मुख्य एजेंडा ग्रामीण विकास है। भारतीय पंचायती राज व्यवस्था की वास्तुकला, जिसकी जड़ें हमारे देश के पुरातन इतिहास और संस्कृति में हैं, मुख्य रूप से इस एजेंडे को संबोधित करने के लिए तैयार की गई हैं। यह एजेंडा 31.5 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों वाली लगभग 2.6 लाख पंचायतों, जिनमें से लगभग 46 प्रतिशत महिलाएं हैं, में रहने वाले ग्रामीणों का सामाजिक और राजनीतिक सशक्तीकरण सुनिश्चित करके ज़मीनी-स्तर पर लोकतंत्र की नींव को भी मज़बूत करता है।

पंचायती राज प्रणाली को भारत के संविधान के 73वें संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों को शक्तियों एवं दायित्वों का हस्तांतरण करने के लिए इस संशोधन की अगली कड़ी के रूप में भाग IX (अनुच्छेद 243) को जोड़ा गया। यह समाज के कमज़ोर वर्ग, अनुसूचित जनजाति (एसटी), अनुसूचित जाति (एससी)एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को व्यापक प्रतिनिधित्व भी प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 243छ में कहा गया है कि पंचायतों को स्थानीय आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाना एवं उन्हें लागू करना चाहिए।

पंचायत मुख्य रूप से राज्य सरकारों की ज़िम्मेदारी है चूंकि 'स्थानीय सरकार' राज्य का विषय है। पंचायतों की स्थापना और संचालन संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों के माध्यम से किया जाता है। राज्य विधानसभाओं को पंचायतों को हस्तांतरण के लिए संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में उदाहरण के तौर पर निर्धारित 29 विषयों पर विचार करना है। 11वीं अनुसूची में ग्रामीण विकास एजेंडे की एक वृहद् शृंखला शामिल है जिसमें कृषि, भूमि विकास, भू-सुधार, सूक्ष्म सिंचाई, जल प्रबंधन, मत्स्य पालन, सामाजिक वानिकी, लघु वनोपज, लघु एवं कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़कें, पुल-पुलिया, घाट, जलमार्ग, ग्रामीण विद्युतीकरण, गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा, बाज़ार एवं मेले, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं सामुदायिक संपत्ति के रखरखाव को शामिल किया गया है।

पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय शासन, सामाजिक परिवर्तन और सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली को स्थानीय आबादी की आकांक्षाओं के अनुरूप (पीआरआई) प्रभावी, कुशल एवं पारदर्शी वाहक बनाने के उद्देश्य से 27 मई, 2004 को पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना की गई थी।

पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) का क्षमता निर्माण

चूंकि अब पंचायतों के माध्यम से काफी मात्रा में सार्वजनिक धन खर्च किया जा रहा है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) एवं विभिन्न पदाधिकारियों का क्षमता निर्माण अत्यधिक आवश्यक हो गया है। इस प्रयोजन के लिए पंचायती राज मंत्रालय निर्वाचित प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबी एंड टी) को वित्तपोषित करने के लिए योजनाओं को लागू करता है। वर्तमान में मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) को लागू कर रहा है। वर्ष 2018-19 में इस योजना की शुरुआत से अब तक निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायत पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों सहित 1.42 करोड़ प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है। वर्ष 2022-23 के दौरान 33 लाख से अधिक प्रतिभागी प्रशिक्षित किए गए हैं। पंचायतों के सशक्तीकरण के लिए आरजीएसए के अतंर्गत वर्ष 2018-19 से 2021-22 के मध्य 2149.09 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गई, एवं वर्ष 2022-23 के मध्य 610.05 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

विषयगत ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी)

चूंकि पंचायतों को अपनी विकासात्मक योजना को तैयार करने के लिए संवैधानिक रूप से अधिदेशित किया गया है, पंचायती राज मंत्रालय विशेष अभियान, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण के माध्यम से पंचायत विकास योजना तैयार करने पर ज़ोर दे रहा है। वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान क्रमशः लगभग 2.51 लाख, 2.58 लाख एवं 2.28 लाख ग्राम पंचायतों एवं समकक्ष निकायों ने अपनी जीपीडीपी तैयार की है।

पंचायती राज मंत्रालय का वर्तमान फोकस पीआरआई को पंचायत स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने में सक्षम बनाना है ताकि देश को राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। इसके लिए पंचायती राज मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के लिए विषयगत दृष्टिकोण अपनाने की एक नई पहल की है। इसके अंतर्गत 17 सतत विकास लक्ष्यों को 9 विषयों में मैप किया गया है, ताकि केंद्र एवं राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संसाधनों का उपयोग करके लक्षित विकासात्मक योजना तैयार की जा सके। वस्तुतः इसके पीछे 'संपूर्ण सरकार' एवं 'संपूर्ण समाज' का दृष्टिकोण है। ये 9 विषय हैं :

1. गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका युक्त गाँव : जिसका उद्देश्य गरीबों के आय स्तर में वृद्धि के रास्ते बनाना और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और रोज़गारोन्मुखी योजना जैसी मनरेगा के तहत पात्र लाभार्थियों को शामिल करना सुनिश्चित करना है।

2. स्वस्थ गाँव : आईसीडीएस आदि के माध्यम से स्वास्थ्य जांच, 100 प्रतिशत टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, पोषण और प्रारंभिक बाल देखभाल के माध्यम से सभी के लिए स्वस्थ

जीवन और कल्याण सुनिश्चित करना।

3. बाल हितैषी गाँव : विद्यालय में शत-प्रतिशत नामांकन, ड्रापआउट अनुपात कम करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बच्चों का शत-प्रतिशत टीकाकरण, बालश्रम से मुक्त गाँव, बाल तस्करी पर रोक, बच्चों पर होने वाली हिंसा के खिलाफ वातावरण निर्मित करना आदि।

4. जल पर्याप्त गाँव : हर घर में पीने योग्य पानी की पहुँच की सुविधा सुनिश्चित करना, गंदे पानी का उपचार एवं शुद्धिकरण, भूजल की कमी को रोकने के उपाय करना, आर्सेनिक संदूषण, वर्षा जल संचयन एवं भूजल पुनर्भरण।

5. स्वच्छ एवं हरित गाँव : 100 प्रतिशत ओडीएफ गाँवों का लक्ष्य, ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन, ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों में स्थानांतरण, हरित आवरण में वृद्धि करना, जैव विविधता का संरक्षण आदि।

6. आत्मनिर्भर अधोसंरचना से युक्त गाँव : गाँव में मूलभूत अधोसंरचना उपलब्ध कराने का उद्देश्य जिसमें ग्राम पंचायत भवन, आँगनबाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक सेवा केंद्र (सीएससी), स्कूलों में बालकों एवं बालिकाओं के लिए पृथक जलयुक्त शौचालय, बारहमासी सड़कें, सौर ऊर्जा चालित स्ट्रीट लाइट आदि शामिल हैं।

7. सामाजिक रूप से न्यायसंगत और सामाजिक रूप से सुरक्षित गाँव : गरीबीरेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले, अक्षम, निराश्रित, सामूहिक रूप से वंचित समूह के जीवन-स्तर में सुधार लाना एवं पात्र लोगों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, दिव्यांग जनों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना आदि शामिल हैं।

8. सुशासित गाँव : बेहतर सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए वार्ड, महिला, बाल और ग्रामसभा का नियमित आयोजन, कार्यात्मक स्थायी समितियां होना, सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण में एसएचजी और ग्राम समितियों की भागीदारी, जीपीडीपी की तैयारी के लिए विभिन्न संस्थानों, हितधारकों के बीच समन्वय और अभिसरण शामिल है।

9. महिला हितैषी गाँव : गर्भवती महिलाओं का शत-प्रतिशत टीकाकरण, शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव, शत-प्रतिशत एंटीनेटल और पोस्ट नेटल केयर, महिलाओं एवं बालिकाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में कमी लाना, महिलाओं की गाँव की सामाजिक-राजनीतिक-आर्थिक गतिविधियों में सहभागिता को शामिल किया गया है।

वित्त आयोग के वित्तपोषण के माध्यम से बुनियादी सेवाओं का प्रावधान

पंचायतें ग्रामीण आबादी को बुनियादी सेवाएं, जैसे कि पेयजल की आपूर्ति, स्वच्छता का रखरखाव और ओडीएफ स्थिति आदि प्रदान करती हैं। वे जलस्त्रोत, कुएं, टैंक एवं पंप, स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज व्यवस्था आदि का रखरखाव भी करती हैं। ऐसी गतिविधियों को करने के लिए पंचायतों को केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग और कई केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से धन प्राप्त होता है। पंद्रहवें वित्त आयोग ने अवार्ड अवधि 2021-2026 के लिए 2,36,805.00 करोड़ रुपये की अनुशंसा की है। राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों से भी पंचायतें सालाना लगभग 30,000 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त करती हैं। विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से यह अनुमान है कि प्रति वर्ष 1.5 लाख करोड़ रुपये से 2 लाख करोड़ रुपये पंचायतों को पहुँचते हैं।

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार

पंचायतों एवं राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मध्य प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए, सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण में सुधार के लिए उनके अच्छे काम की मान्यता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों और राज्यों/संघशासित प्रदेशों को पंचायतों की प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय प्रोत्साहन सहित पुरस्कार दिए जाते हैं।

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों को वर्ष 2022 से संशोधित करते हुए एलएसडीजी के 9 विषयों के साथ संरेखित किया गया है। संशोधित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सभी ग्राम पंचायतों की विषयवार रैंकिंग और उनकी ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन के आधार पर ब्लॉक पंचायतों और ज़िला पंचायतों को भी सक्षम बनाएंगे। इससे पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रत्येक एलएसडीजी विषय के तहत उनकी स्थिति का आकलन करने के लिए एक आधार रेखा तैयार होगी और वर्ष 2030 तक क्रमिक योजना के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से एसडीजी हासिल करने में उन्हें सक्षम बनाया जा सकेगा।

वर्ष 2022-23 में इस संशोधित विषयगत पुरस्कार प्रतियोगिता में देश की 2 लाख से अधिक पंचायतों ने भाग लिया है। पुरस्कार दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार (एलएसडीजी के एक विषय में प्रदर्शन) तथा नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार (एलएसडीजी के सभी 9 विषयों में सकल प्रदर्शन) की श्रेणियों के तहत प्रदान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, ऊर्जा आत्मनिर्भरता एवं शून्य कार्बन उत्सर्जन के क्षेत्र में काम करने के लिए पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य विशेष श्रेणियों के पुरस्कारों की स्थापना भी की गई है।

ई-गवर्नेंस एवं आईसीटी पहल

वर्ष 2020 में, पंचायती राज संस्थाओं में ई-गवर्नेंस को मजबूत करने और अंततः ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों में शामिल जटिलताओं को कम करने के लिए, एक सरलीकृत कार्य आधारित लेखा आवेदन 'ई-ग्राम स्वराज' 24 अप्रैल, 2020 को लॉन्च किया गया था। खातों के रखरखाव में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए पंचायतों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने ई-ग्राम स्वराज को पीएफएमएस के साथ एकीकृत

किया है। ई-ग्रामस्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस (ईजीएसपीआई) ग्राम पंचायतों के लिए विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय पर भुगतान करने के लिए अपनी तरह का अनूठा अनुप्रयोग है। इसमें सभी लेन-देन सुरक्षित हैं, और भुगतान वाउचर 2 फेक्टर प्रमाणीकरण का उपयोग करके बनाए गए हैं।

देश की 2.55 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों या समकक्ष निकायों ने वर्ष 2022-23 के लिए अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार की है। वहीं 2.78 लाख पंचायतें जीएसपीआई से जुड़ी हैं, जिसमें 90% ग्राम पंचायतें ई-जीएसपीआई का उपयोग करके सफलतापूर्वक ऑनलाइन लेनदेन कर रही हैं। 1.2 लाख करोड़ रुपये का लेनदेन ई-जीएसपीआई के माध्यम से पंचायतों द्वारा किया गया है जो कि पारदर्शिता और कुशल वित्तीय लेनदेन की दिशा में एक सराहनीय उपलब्धि है।

अब, ई-ग्राम स्वराज को सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जैम) के साथ भी एकीकृत किया जा रहा है, ताकि पंचायतों को निर्बाध खरीद और लेखा अनुभव प्राप्त हो सके। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट का 10 राज्यों द्वारा परीक्षण किया जा चुका है। मंत्रालय ई-ग्राम स्वराज पर केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की सूची दिखाने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली भी प्रदान कर रहा है। आज तक, लगभग 17 करोड़ लाभार्थियों के विवरण के साथ 7 मंत्रालयों और 18 योजनाओं के डेटा को पोर्ट किया जा चुका है।

ऑडिट ऑनलाइन एप्लिकेशन को पंचायत खातों के ऑनलाइन ऑडिट की अनुमति देने और ऑडिट में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है। ऑडिट अवधि 2019-20 के लिए, अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर, सभी राज्यों ने 25 प्रतिशत ग्राम पंचायतों के ऑडिट का लक्ष्य पूरा कर लिया है। ऑडिट अवधि 2020-21 के लिए लगभग 1.95 लाख ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई हैं।

सिटीज़न चार्टर अभियान

मंत्रालय ने "मेरी पंचायत, मेरा अधिकार- जन सेवाएं हमारे द्वार" के तत्वावधान में 01 जुलाई से 30 सितंबर, 2021 तक सिटीज़न चार्टर अभियान चलाया। इसका उद्देश्य पंचायतों और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों को सीधे लोगों के प्रति जवाबदेह बनाना है। अब तक, 30 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लगभग 2.15 लाख ग्राम पंचायतों ने अपने सिटीज़न चार्टर को अंतिम रूप दे दिया है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में फैली 952 सेवाओं की पेशकश की गई है, जिसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पेयजल एवं स्वच्छता, लोक कल्याण, रोजगार आदि शामिल हैं।

सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी)

सीएससी का प्राथमिक उद्देश्य ग्राम पंचायतों में सभी डिजिटल सेवाओं के वितरण के लिए एकल पहुँच बिंदु के रूप में कार्य करना और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर पैदा करना है। आज की तारीख में लगभग 52,409 सीएससी को पंचायत भवनों के साथ सह-स्थित किया गया है।

स्वामित्व योजना

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गाँवों में आबादी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को उनके घरों का अभिलेख का अधिकार प्रदान करने एवं संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान करने के

अमृतकाल के दौरान हम क्या हासिल करना चाहते हैं?

- जीवंत ग्रामसभा जो कि 'ग्राम स्वराज' और 'जनता को शक्ति' के सपनों को साकार करेगी।
- आवश्यक सेवाएं प्रदान करने और सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए राज्यों के माध्यम से पंचायतों को निधियों, कार्यों और कार्यकर्ताओं (3एफ)* का पर्याप्त हस्तांतरण।
- सभी पंचायतों के लिए पंचायत सचिवालय एवं ग्राम सचिवालय का प्रावधान तथा पंचायत सचिवालय एवं ग्राम सचिवालय में लाइन विभागों की उपस्थिति।
- विभिन्न विकास कार्यों को करने में सक्षम होने के लिए बाज़ार उधार सहित पंचायतों को विभिन्न वित्तीय साधन सुनिश्चित करना।
- सतत विकास लक्ष्यों (एसजीडी) को प्राप्त करने की दृष्टि से ग्राम पंचायतों की वैधानिक स्थायी समितियों का सुदृढ़ीकरण।
- ग्रामीण-शहरी विभाजन को पाटना और अपने नागरिकों को प्रभावी सेवा प्रदान करने के लिए पंचायतों को नए युग की स्थानीय स्व-सरकार के रूप में बदलना जिससे जीवन की आसानी और जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।
- ग्राम पंचायतों के लिए मास्टर स्थानिक योजना जिसमें कृषि, आवास, बाज़ार, पार्क, जल निकाय, उद्योग, बैंक, पोस्ट ऑफिस, आंगनवाड़ी, पीएचसी, स्कूल आदि जैसे संस्थागत क्षेत्रों के लिए स्पष्ट रूप से सीमांकन हो, ताकि शहरों की तर्ज पर गाँवों का भी विकास हो सके।
- ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राजस्व के पर्याप्त स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर)।
- ग्राम पंचायतों के लिए प्रभावी आपदा प्रबंधन योजना जो ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया के लिए रूपरेखा तैयार करती है।
- ग्राम ऊर्जा स्वराज के माध्यम से गाँवों का ऊर्जा सशक्तीकरण।

*3Fs-Funds, Functions & Functionaries

लिए स्वामित्व योजना (ग्रामीण क्षेत्रों में संशोधित प्रौद्योगिकी के साथ गाँवों का सर्वेक्षण और मानचित्रण) को लागू किया गया है। 1 मार्च, 2023 की स्थिति में 2.32 लाख गाँवों में ड्रोन सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है और लक्षद्वीप, दिल्ली, दादर नगर हवेली, दमन और दीव केंद्रशासित प्रदेशो में तथा मध्य प्रदेश राज्य में ड्रोन सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है। अब तक लगभग 70 हज़ार गाँवों के 1.20 करोड़ संपत्ति कार्ड बन चुके हैं। हरियाणा, उत्तराखंड, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और गोवा के सभी बसे हुए गाँवों के संपत्ति कार्ड तैयार कर लिए गए हैं। संपत्ति कार्ड के माध्यम से ग्रामीणों को प्राप्त हो रहे रिकार्ड के अधिकार, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के मुद्रीकरण में एक बड़ा गेमचेंजर साबित होने जा रहे हैं। साथ ही, स्वामित्व योजना के माध्यम से पंचायतें अपने स्वयं के राजस्व के स्रोतों को बढ़ाने के प्रयास में निकट भविष्य में संपत्ति कर का आकलन और संग्रह करने में सक्षम बन सकेंगी।

सोशल मीडिया गतिविधियाँ

पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के लिए विभिन्न माध्यमों से मीडिया गतिविधियां बहुत फायदेमंद साबित हो रही हैं। प्रभावी संचार प्रणाली के माध्यम से ग्रामीण आउटरीच को और बढ़ाने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय देश भर में प्रमुख लक्षित क्षेत्रों- पंचायतों के साथ दो-तरफा संचार की सुविधा के लिए विभिन्न सोशल मीडिया खातों का संचालन करता है। इस समय मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर 650 से अधिक वीडियो उपलब्ध हैं (@MinistryOfPanchayatiRaj)। मंत्रालय ट्वीटर (@mopr_goi) एवं फेसबुक (@MinistryOfPanchayatiRaj) पर भी सक्रिय है। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर प्रकाशित ट्वीट, पोस्ट, वीडियो पर औसत प्रभाव क्रमशः 7.72 लाख, 7.27 लाख और 1.12 लाख से अधिक है।

पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तीकरण एवं आत्मनिर्भरता हेतु अपनी योजनाओं तथा अन्य मंत्रालयों की योजनाओं का कनवर्जेंस कराकर राज्यों के साथ मिलकर, स्थानीय जन प्रतिनिधियों के नेतृत्व में, सक्रिय जनभागीदारी से अपने लक्ष्य की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है तथा आज़ादी के इस अमृतकाल में हम शिक्षायुक्त पंचायत, रोज़गार युक्त पंचायत, स्वच्छ पंचायत, हरित पंचायत एवं आत्मनिर्भर पंचायत आदि की दिशा में त्वरित गति से आगे बढ़ रहे हैं और क्रमिक रूप से हम इन लक्ष्यों को भी हासिल करेंगे तथा माननीय प्रधानमंत्री के संकल्प के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाएंगे। ❑